न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 29/2021 **दायर दिनांकः 12.02.2021**

उनवान

1. भंवर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति राजपूत निवासी धूमेन तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. भंवर बाई पुत्री अर्जुन सिंह जाति राजपूत निवासी धूमेन तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. ज्ञान कंवर बाई पुत्री अर्जुन सिंह जाति राजपूत निवासी धूमेन तहसील अटरू जिला बारां राज0।
4. नन्द कंवर बाई पुत्री अर्जुन सिंह जाति राजपूत निवासी धूमेन तहसील अटरू जिला बारां राज0।
5. संतोष कंवर बाई पुत्री अर्जुन सिंह जाति राजपूत निवासी धूमेन तहसील अटरू जिला बारां राज0।
6. यशवंत सिंह पुत्र गोविन्द सिंह जाति राजपूत निवासी धूमेन तहसील अटरू जिला बारां राज0।
7. सोनू कंवर उर्फ सोनू पुत्री गोविन्द सिंह जाति राजपूत निवासी धूमेन तहसील अटरू जिला बारां राज0।
8. मोनू कंवर उर्फ मोनू पुत्री गोविन्द सिंह जाति राजपूत निवासी धूमेन तहसील अटरू जिला बारां राज0।
9. गजराज कंवर पत्नी गोविन्द सिंह जाति राजपूत निवासी धूमेन तहसील अटरू जिला बारां राज0।
10. रघुराज सिंह पुत्र पुत्र किशन सिंह जाति राजपूत निवासी धूमेन तहसील अटरू जिला बारां राज0।
11. कुशाल सिंह पुत्र धनराज सिंह जाति राजपूत निवासी धूमेन तहसील अटरू जिला बारां राज0।
12. रागनी पुत्री धनराज सिंह जाति राजपूत निवासी धूमेन तहसील अटरू जिला बारां राज0।
13. भावना कुमारी पुत्री धनराज जाति राजपूत निवासी धूमेन तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. कँवरलाल पुत्र बिरधीलाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा तहसील अटरू जिला बारां

राज0।

1/1 बाबूलाल पुत्र कंवरलाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा तह. अटरू जिला बारां राज.।

1/2 रामविलास पुत्र कंवरलाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा तह. अटरू जिला बारां राज.।

1/3 सुरेश कुमार पुत्र कंवरलाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा तह. अटरू जिला बारां राज.।

1/4 द्रोपती बाई उर्फ कोमला पुत्री कंवरलाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा तह. अटरू जिला बारां राज.।

1/5 सुमित्रा बाई पुत्री कंवरलाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा तह. अटरू जिला बारां राज.।

1/6 सीमा बाई पुत्री कंवरलाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा तह. अटरू जिला बारां राज.।

1/7 बादाम बाई पत्नी कंवरलाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा तह. अटरू जिला बारां राज.।

2. केसरी लाल पुत्र बिरधीलाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

2/1 मथुरालाल पुत्र केसरीलाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा तहसील अटरू जिला बारां राज.।

2/2 गिरिराज प्रसाद पुत्र केसरीलाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा तहसील अटरू जिला बारां राज.।

2/3 मांगीबाई पुत्री केसरीलाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा तहसील अटरू जिला बारां राज.।

2/4 ललता बाई पुत्री केसरीलाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा तहसील अटरू जिला बारां राज.।

3. गोपाल पुत्र बिरधीलाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

3/1 रामकल्याण पुत्र गोपाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा तह. अटरू जिला बारां राज0।

3/2 कैलाश बाई पुत्री गोपाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा तह. अटरू जिला बारां राज0।

3/3 मथुरी बाई पुत्री गोपाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा तह. अटरू जिला बारां राज0।

3/4 सीता बाई पुत्री गोपाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा तह. अटरू जिला बारां राज0।

4. हजारीलाल पुत्र बिरधीलाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा तह. अटरू जिला बारां राज0।

5. बिरधीलाल पुत्र आनन्दीलाल जाति माली निवासी कराडिया हाडा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

6. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, तह0 अटरू जिला बारां

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 'ए' आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :–

वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

प्रतिवादी :– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाकः 28/02/2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल धूमेन तहसील अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2026 से 2021 के अनुसार खाता संख्या 113 के ख0नं0 528 की 13 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित चली आ रही थी जिसके बाद सेटलमेन्ट मुताबिक मिलान क्षैत्रफल नये नं0 ख0ं0 331 की 1.03 है0, ख0नं0 331/1151 की 1.04 है0, खं नं. 306/1264 की 0.05 है0, ख0नं0 346/1271 की 0.09 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 2.21 है0 बनाये है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि संवत 2076 से 2030 के अनुसार खातेदार भैरू, अनन्दया पुत्र घांसी हिस्साा 1/2 जाति माली एवं बिरधीलाल बेटा छोटु हिस्सा 1/2 जाति किराडा के दर्ज खाता चली आ रही थी। वाद पत्र की मद नं0 1 में

वर्णित भूमि में से खातेदार भैरू का स्वर्गवास होने के पश्चात खातेदार अनन्दया ने हिस्सा 1/2 का बेचान जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 08.07.70 को लक्ष्मण सिंह पुत्र पहप सिंह जाति राजपूत निवासी धूमेन को करके मौके पर कब्जा सम्भला दिया था। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में बिरधीलाल पुत्र छोटु जाति किराड का हिस्सा 1/2 उसके वारिसान जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अर्जुनसिंह, किशनसिंह पुत्रान पहप सिंह जाति राजपूत निवासी धूमेन को करके मौके पर कब्जा सम्भला दिया था। इस तरह से वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि पर लक्ष्मण सिंह जी के एवं अर्जुन सिंह, किशनल सिंह जी के जीवनकाल तक उनके कब्जे काश्त में चली आ रही थी जिनके स्वर्गवास के पश्चात वादीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है। वाद पत्र की मद ं0 1 में वर्णित भूमि में बिरधीलाल पुत्र छोटु जाति किराड का हिस्सा 1/2 की भूमि उसके वारिसान में अर्जुनसिंह, किशनसिंह पुत्रगण पहप सिंह को बेचान की थी जिसका इन्द्राज जमाबन्दी संवत 2038 से 2041 में अर्जुन सिंह व किशनसिंह पुत्रान पहप सिंह के खाते दर्ज कर रखी है। जिसके बाद सेटलमेन्ट नये ख0नं0 360/1264 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 331/1151 रकबा 1.04 है0 कुल दो किता रकबा 1.09 है0 का खाता पृथक कर खाता संख्या 177 में अर्जुन सिंह, किशनसिंह के वादीगण वारिसान होने से वादीगण के दर्ज खाता चली आ रही है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि ख0ं0 528 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा में से हिस्सा 1/2 अनन्द्या पुत्र घांसी ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिांक 08.07.1970 को लक्ष्मण सिंह पुत्र पहपसिंह जाति राजपूत निवासी धूमेन को कर दिया था। लेकिन रजिस्ट्री में एक स्थान पर ख0नं0 528 के स्थान पर 558 दर्ज होने से पटवारी हल्का ने लक्ष्मणसिंह के पक्ष में नामातरण दर्ज नहीं किया जबकि विक्रय पत्र में विक्रेता अनन्द्या पुत्र घांसी के खाते व हिस्से की भूमि का बेचान हुआ था तथा पेज ं0 2 पर ख0ं0 528 दर्ज था। पटवारी हल्का को ख0ं0 558 के खाते की नकल भी प्रस्तुत की थी। जो भूमि अनन्दया पुत्र घांसी के दर्ज नहीं थी। बल्कि रामानारायण, मथुरालाल पुत्रगण शिवचरण जाति धाकड निवासी नोहल्या के खाते दर्ज थी। लिपीकीय त्रुटी के कारण पटवारी हल्का ने नामान्तरण तक उनका कब्जा रहा तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। लक्ष्मण सिंह जी नाऔलाद थे उनके परिवार का सजरा निम्न प्रकार हैः—

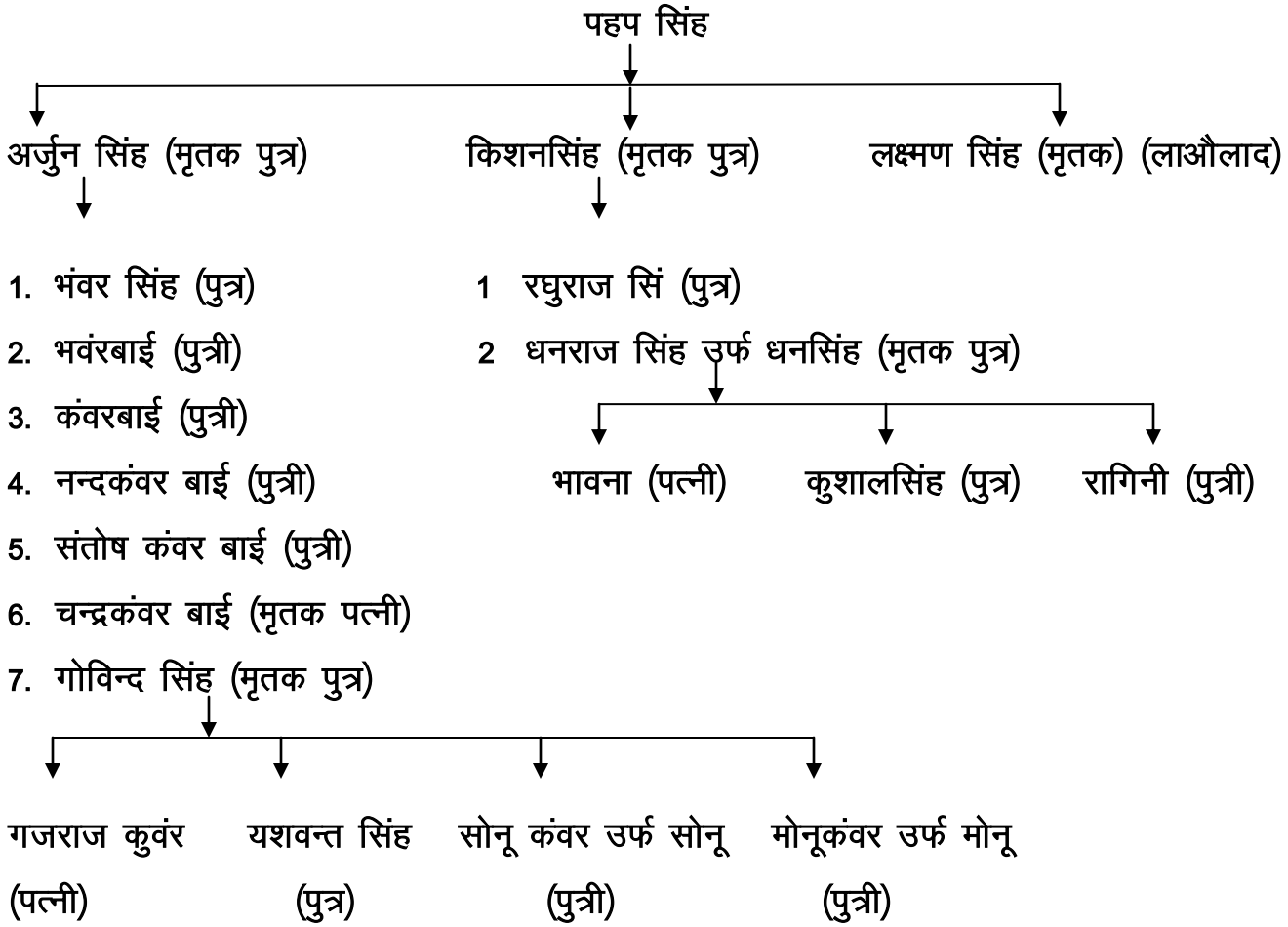

मृतक लक्ष्मण सिंह का स्वर्गवास लाऔलाद हुआ था। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की अनुसूची 2 के अनुसार वादीगण उनके उत्तराधिकारी होने से प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के खाते में दर्ज भूमि ख0नं0 331 की 1.03 है0, ख0नं0 346/1271 रकबा 0.09 है0 कुल दो किता रकबा 1.12 है0 भूमि के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तथा विक्रय पत्र की दिनांक से आज तक उक्त भूमि पर लक्ष्मणसिंह जी के जीवनकाल तक उनका स्वयं का तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात वादीगण का कब्जा बेरोकटोक चला आ रहा होने से खातेदार कृषक घोषित होकर इस आशय का अंकन राजस्व रिकार्ड में करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू को प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 04.02.2021 को ख0नं0 331 रकबा 1.03 है., ख0नं0 346/1271 रकबा 0.09 है0 कुल दो किता रकबा 1.12 है0 भूमि को बेचान करने की धमकी दी। इस पर वादीगण ने श्रीमान तहसीलदार सा0 अटरू को विक्रय पत्र के आधार पर उनके वारिसान के नाम नामान्तरण दर्ज करने के लिये निवेदन किया तो उनने सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने की हिदायत दी। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादीगण के अवैध कृत्य को रोका जाना संभव नहीं है अस्तु

वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणा करवाने के अधिकारी है कि खाता संख्या 56 की भूमि जो प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 6 के दर्ज खाता चली आ रही, का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इस आशय का अंकन करवाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि वादीगण के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त में चली आ रही ख0नं0 331 रकबा 1.03 है0 व ख0नं0 346/1271 रकबा 0.09 है0 कुल दो किता का रकबा 1.12 है0 भूमि पर किसी प्रकार की बाधा न तो प्रतिवादीगण स्वयं उत्पन्न करें न अपने प्रतिनिधियों से करावे। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उसे प्रतिवादी बनाया गया है। राजस्थान सरकार को वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस प्रेषित किया जाना आवश्यक है लेकिन नोटिस की अवधि समाप्ति का इन्तजार किया गया तो प्रतिवादीगण खाते में उनका नाम होने से भूमि को बेचान कर देंगें जिससे वादीगण को अनेकानेक विवादों में उलझना पडेगा। वाद आवश्यक प्रकृति का होन से धारा 80(2) सी.पी.सी. का पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय की इजाजत से वाद पेश है। विवादग्रस्त आराजी ग्राम व माल धूमेन तह0 अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 04.02.2021 को वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि को बेचने की धमकी देने पर बमुकाम उत्पन्न हुआ। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के अनुसार उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे किः—

(अ) वाद पत्र की मद नं0 में वर्णित भूमि में से ख0नं0 331 रकबा 1.03 है0, ख0नं0 346/1271 रकबा 0.09 है0 का खातेदार कृषक वादीगण को घोषित किया जाकर इस आशय का अंकन राजस्व रिकार्ड में करवाया जावे।

(ब) प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि उपरोक्त भूमि में वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे प्रदान की जावें।

2. रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1/1 से 1/3, 1/7, 2/1, 2/2 द्वारा तामिल लेने से इंकार करने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी क्रम 1/4 स 1/6, 2/3, 2/4, 3/1 से 3/4 तथा 4 व 5 के मूल गांव छोडकर बाहर रहने से तलबी अखबारसाया से करवाई गई। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादी क्रम 1/4 स 1/6, 2/3, 2/4, 3/1 से 3/4 तथा 4 व 5 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी क्रम 6 द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया।

3. साक्ष्यवादी के तहत PW1 से PW4 के शपथ पत्र पेश किये गये और रिकार्ड प्रदर्शित करवाया गया। PW2 दूर्गाशंकर पुत्र भैरूलाल किराड एवं PW3 अजबसिंह पुत्र लक्ष्मीचन्द मीण में अपने गवाह ब्यानों में कथन किया है कि हम वादीगण के पडौसी काश्तकार है हमारा खेत वादीगण की विवादित भूमि के पास है। ग्राम धूमेन की उक्त विवादित आराजी को आनन्दया पुत्र घांसी माली हिस्सा 1/2 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 1970 में लक्ष्मण सिंह पुत्र पहप सिंह राजपूत निवासी धूमेन को बेचान कर दी थी और जब से हमने होश संभाला है तब से लक्ष्मण सिंह राजपूत एवं उनके वारिसानों का शांतिपूर्ण कब्जा काश्त देखा है। शेष 1/2 हिस्से के सहखातेदार बिरधीलाल पुत्र छोटू किराड ने अपना हिस्साा जरिऐ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पहप सिंह राजपूत के दो अन्य पुत्रान अर्जुनसिंह व किशनसिंह को बैचान कर दिया था।

4. तहसीलदार अटरू से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/राजस्व/2022/129 दिनांक 27.01.2022 से मौका रिपोर्ट पेश कर कथन किया गया कि ग्राम धूमेन की आराजी हाल ख0नं0 331 व 346/1271 साबिक ख0नं0 528 पर मुताबिक पटवारी रिपोर्ट विगत 40 वर्षों से लक्ष्मण सिंह पुत्र पहप सिंह तथा उनके वारिसान भंवर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह दत्तक पुत्र लक्ष्मण सिंह का कब्जा काश्त है जो लगातार चला आ रहा है इस इस वर्ष भी इन्ही का कब्जा है। बेचान की जानकारी करने पर ग्रामवासियान ने बताया कि बेचान का हमें ठीक से मालूम नहीं किन्तु लगभग 40–50 वर्षों से लक्ष्मण सिंह का ही कब्जा काश्त है।

5. अभिभाषक वादीगण की एक तरफा बहस सुनी। अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि साबिक

ख0नं0 528 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा के हिस्सा 1/2 में से ख0नं0 331 रकबा 1.03 है0, ख0नं0 346/1271 रकबा 0.09 है0 का वादीगण को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं कब्जे काश्त के आधार पर खातेदार कृषक घोषित किया जाकर इस आशय का अंकन राजस्व रिकार्ड में करवाया जावे।

6. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। ग्राम धूमेन की जमाबंदी संवत 2026–29 में ख0नं0 528 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा भैरू, आनन्द्या पुत्रान घांसी 1/2 तथा बिरधी पुत्र छोटू धाकड हिस्सा 1/2 खाते दर्ज था। अभिभाषक वादीगण ने कथन किया कि भैरू पुत्र घांसी लाऔलाद फौत होने से उसके भाई आनन्दाया पुत्र घांसी के 1/2 हिस्सा हो गया था। आनन्द्या पुत्र घांसी ने अपना 1/2 हिस्सा यानी 6 बीघा 16.5 बिस्वा भूमि जरिऐ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.07.1970 (प्रदर्श–1 ए) लक्ष्मण पुत्र पहप सिंह राजपूत को बैचान कर दी। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.07.1970 का अवलोकन किया गया। उक्त ख0नं0 528 के शेष 1/2 भाग पर बिरधी पुत्र छोटू की मृत्यु के बाद नामा 118 से इनके वारिसानों का नाम दर्ज हुआ, जिन्होने अपना हिस्सा 1/2 भी बाद में अर्जुन सिंह, किशनसिंह पुत्रान पहप सिंह राजपूत को जरिऐ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बैचान कर दी। (जमाबन्दी संवत 2038–41 व नामान्तरण संख्या 254 संलग्न है प्रदर्श–4) । इस प्रकार विवादित साबिक ख0नं0 528 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा के आधे भाग पर लक्ष्मण सिंह पुत्र पहपसिंह का तथा आधे भाग पर अर्जुनसिंह, किशनसिंह पुत्रान पहप सिंह का नाम दर्ज हुआ। वाद पत्र के मद सं 7 एवं मृत्यु प्रमाण पत्र (प्रदर्श–5) के अनुसार खातेदार लक्ष्मण सिंह पुत्र पहपसिंह 05.02.1996 को लाऔलाद फौत हुआ और वाद पत्र की मद नं0 6 के अनुसार वादीगण इनके कानूनी वारिसान है। भू प्रबंध विभाग के मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 3 के अवलोकन से जाहिर है कि साबिक ख0नं0 528 के हाल ख0नं0 331 रकबा 1.03 है0, 331/1159 रकबा 1.04 है0, 306/1264 रकबा 0.05 है0, एवं 346/1211 रकबा 0.09 है0 बने है। जिसमें से ख0नं0 306/1264 व 331/1151 कुल किता 2 रकबा 1.09 है0 अर्थात 6 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर क्रेता अर्जुनसिं व किशनसिंह के वारिसान के नाम दर्ज है जबकि शेष ख0नं0 331 व 346/1271 कुल किता 2 रकबा 1.12 है0 अर्थात 6 बीघा 18 बिस्वा पर क्रेता लक्ष्मण सिंह पुत्र पहप सिंह के कानूनी वारिसानों की जगह राजस्व कर्मियों की त्रुटिवश विक्रेता आनन्दया पुत्र घांसी माली एवं विक्रेता बिरधी पुत्र छोटू धाकड के वारिसानों का नाम दर्ज हो गया है। तहसीलदार अटरू की मौका रिपोर्ट दिनांक 27.01.2022 एवं साक्ष्य गवाह PW1 से PW3 के भी इस तथ्य की पुष्टि करते है कि हाल

ख0नं0 331 व 346/1271 कुल किता 2 रकबा 1.09 है0 पर पहले क्रेता लक्ष्मण सिंह पुत्र पहपसिंह का और इनकी मृत्यूपरांत इनके कानूनी वारिसानों का लगातार शांतिपूर्ण कब्जा काश्त चला आ रहा है। राजस्व विभाग के कार्मिकों की त्रुटिवश रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 08.07.1970 के आधार पर लक्ष्मण सिंह पुत्र पहप का सिर्फ नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हो सका जबकि मौके पर शांतिपूर्ण कब्जा काश्त चलता आ रहा है। इस शांतिपूर्ण कब्जेकाश्त के संबंध में विगत 40–50 वर्षों से विक्रेता आनन्दया पुत्र घांसी एवं विक्रेता बिरधी पुत्र छोटू के वारिसान द्वारा कोई आपत्ति भी पेश नहीं की जो कि विक्रता व उनके वारिसानों के लम्बे व शांतिपूर्ण कब्जे काश्त को मौन स्वीकृति व सहमति माना जायेगा।

7. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम व माल धूमेन के ख0नं0 331 रकबा 1.03 है0 व ख0नं0 346/1271 रकबा 0.09 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.12 है0 भूमि पर विक्रेता–बिरधी पुत्र छोटू के वारिसान–कवंरलाल पुत्र बिरधीलाल, गोपाल पुत्र बिरधीलाल, हजारी पुत्र बिरधीलाल व केशरी पुत्र बिरधीलाल तथा आनन्द्या पुत्र घांसी के वारिसान– जगन्नाथ पुत्र आनन्दीलाल व बिरधीलाल पुत्र आनन्दीलाल की जगह क्रेता वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)
प्रकरण सं0 29/2021 **दायर दिनांकः 12.02.2021**

उनवान

1. भंवर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति राजपूत निवासी धूमेन तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. भंवर बाई पुत्री अर्जुन सिंह जाति राजपूत निवासी धूमेन तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. ज्ञान कंवर बाई पुत्री अर्जुन सिंह जाति राजपूत निवासी धूमेन तहसील अटरू जिला बारां राज0।
4. नन्द कंवर बाई पुत्री अर्जुन सिंह जाति राजपूत निवासी धूमेन तहसील अटरू जिला बारां राज0।
5. संतोष कंवर बाई पुत्री अर्जुन सिंह जाति राजपूत निवासी धूमेन तहसील अटरू जिला बारां राज0।
6. यशवंत सिंह पुत्र गोविन्द सिंह जाति राजपूत निवासी धूमेन तहसील अटरू जिला बारां राज0।
7. सोनू कंवर उर्फ सोनू पुत्री गोविन्द सिंह जाति राजपूत निवासी धूमेन तहसील अटरू जिला बारां राज0।
8. मोनू कंवर उर्फ मोनू पुत्री गोविन्द सिंह जाति राजपूत निवासी धूमेन तहसील अटरू जिला बारां राज0।
9. गजराज कंवर पत्नी गोविन्द सिंह जाति राजपूत निवासी धूमेन तहसील अटरू जिला बारां राज0।
10. रघुराज सिंह पुत्र पुत्र किशन सिंह जाति राजपूत निवासी धूमेन तहसील अटरू जिला बारां राज0।
11. कुशाल सिंह पुत्र धनराज सिंह जाति राजपूत निवासी धूमेन तहसील अटरू जिला बारां राज0।
12. रागनी पुत्री धनराज सिंह जाति राजपूत निवासी धूमेन तहसील अटरू जिला बारां राज0।
13. भावना कुमारी पुत्री धनराज जाति राजपूत निवासी धूमेन तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. कँवरलाल पुत्र बिरधीलाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

1/1 बाबूलाल पुत्र कंवरलाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा तह. अटरू जिला बारां राज.।

1/2 रामविलास पुत्र कंवरलाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा तह. अटरू जिला बारां राज.।

1/3 सुरेश कुमार पुत्र कंवरलाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा तह. अटरू जिला बारां राज.।

1/4 द्रोपती बाई उर्फ कोमला पुत्री कंवरलाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा तह. अटरू जिला बारां राज.।

1/5 सुमित्रा बाई पुत्री कंवरलाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा तह. अटरू जिला बारां राज.।

1/6 सीमा बाई पुत्री कंवरलाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा तह. अटरू जिला बारां राज.।

1/7 बादाम बाई पत्नी कंवरलाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा तह. अटरू जिला बारां राज.।

2. केसरी लाल पुत्र बिरधीलाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

2/1 मथुरालाल पुत्र केसरीलाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा तहसील अटरू जिला बारां राज.।

2/2 गिरिराज प्रसाद पुत्र केसरीलाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा तहसील अटरू जिला बारां राज.।

2/3 मांगीबाई पुत्री केसरीलाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा तहसील अटरू जिला बारां राज.।

2/4 ललता बाई पुत्री केसरीलाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा तहसील अटरू जिला बारां राज.।

3. गोपाल पुत्र बिरधीलाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

3/1 रामकल्याण पुत्र गोपाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा तह. अटरू जिला बारां राज0।

3/2 कैलाश बाई पुत्री गोपाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा तह. अटरू जिला बारां राज0।

3/3 मथुरी बाई पुत्री गोपाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा तह. अटरू जिला बारां राज0।

3/4 सीता बाई पुत्री गोपाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा तह. अटरू जिला बारां राज0।

4. हजारीलाल पुत्र बिरधीलाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा तह. अटरू जिला बारां राज0।

5. बिरधीलाल पुत्र आनन्दीलाल जाति माली निवासी कराडिया हाडा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

6. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, तह0 अटरू जिला बारां

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 'ए' आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :–

वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

प्रतिवादी :– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम व माल धूमेन के ख0नं0 331 रकबा 1.03 है0 व ख0नं0 346/1271 रकबा 0.09 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.12 है0 भूमि पर विक्रेता–बिरधी पुत्र छोटू के वारिसान–कवंरलाल पुत्र बिरधीलाल, गोपाल पुत्र बिरधीलाल, हजारी पुत्र बिरधीलाल व केशरी पुत्र बिरधीलाल तथा आनन्द्या पुत्र घांसी के वारिसान– जगन्नाथ पुत्र आनन्दीलाल व बिरधीलाल पुत्र आनन्दीलाल की जगह क्रेता वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....
.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 28.02.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)